उर्दू अकादमी

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल

मुल्ला रमूज़ी संस्कृति भवन, बाणगंगा चौराहा, भोपाल 462003

:: वार्षिक पुरस्कार के नियम एवं शर्तें ::

1– अकादमी की पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए 01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 के बीच प्रचलित वर्ष में प्रकाशित पुस्तकें 02 फ़रवरी, 2026 तक शामिल की जा सकेंगी। पुस्तक का प्रथम संस्करण ही मान्य होगा। रचनाकार का पूर्ण जीवन परिचय (बायोडाटा) भी साथ रहेगा।

2– प्रादेशिक पुरस्कार प्रदेश के लेखकों के लिए ही हैं। प्रदेश के लेखक का अर्थ है लेखक का जन्म मध्यप्रदेश में हुआ हो या गत दस वर्षों से प्रदेश में रहते हुए रचनाकार्य किया हो। तत्सम्बन्धी मूल निवासी प्रमाणपत्र आवश्यक है।

3– जो रचनाकार अकादमी के अखिल भारतीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे, भविष्य में उनकी कृति पर विचार नहीं हो सकेगा। जिन रचनाकारों को प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त होगा वे केवल अखिल भारतीय पुरस्कार के लिए पुरस्कार प्राप्ति के पाँच वर्ष बाद ही भाग ले सकेंगे। इसके लिये उन्हें प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।

4– भेजी गई पुस्तक पर लेखक की लिखित सहमति अनिवार्य है।

5– पुरस्कार के लिए सिर्फ प्रकाशित पुस्तकें ही स्वीकार्य होंगी।

6– प्रत्येक पुरस्कार के लिए पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पूरा पता, प्रकाशन वर्ष, प्रेषक का नाम, मोबाइल नम्बर के साथ हस्ताक्षरयुक्त पर्ची पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर एवं बंडल पर चिपकाना अनिवार्य है।

7– ऐसी पुस्तकें जो अकादमी से पुरस्कृत अथवा अनुदान से प्रकाशित हैं। (अथवा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत शोध पी.एस.डी. या लघु शोध प्रबंध) मान्य नहीं होगी।

8– पुरस्कार प्रवृष्टि के लिए भेजी गई पुस्तकें वापिस नहीं होंगी और न क्रय की जाएंगी।

9– अकादमी द्वारा जारी किए गये विज्ञापन में पुस्तकें प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक ही पुस्तकें स्वीकार की जावेंगी। डाक की देरी अथवा पुस्तकें खो जाने के लिए अकादमी जिम्मेदार नहीं होगी।

10– मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग़ के कर्मचारी पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।

11– रचनाकार एक पुस्तक को एक ही पुरस्कार के लिए भेजें। अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक पुरस्कारों के लिए एक रचनाकार को एक ही कृति मान्य होगी।

12– यदि किसी पुरस्कार हेतु निर्धारित विधा पर आधारित पुस्तक अकादमी को प्राप्त नहीं होती है तो परीक्षण हेतु गठित ज्यूरी को यह अधिकार होगा कि वह अन्य विधाओं पर प्राप्त पुस्तकों में से किसी का चयन उक्त विधा के लिए निर्धारित पुरस्कार हेतु कर ले।

13– परीक्षण हेतु शासन द्वारा गठित जूरी को यह अधिकार होगा कि वह प्राप्त पुस्तकों में से कृतियों की गुणवत्ता एवं रचनाकार के सम्पूर्ण (बायोडाटा) जीवन वृत्त के आधार पर चयन करे। एक कृति प्राप्त होने पर वह पुरस्कार शून्य माना जाएगा। यह अधिकार पूर्णतः जूरी का होगा।

14– पुरस्कार के सम्बन्ध में अकादमी का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

15– प्रत्येक पुरस्कार के लिए पुस्तक की चार प्रतियाँ भेजनी होंगी। पैकेट पर पुरस्कार का नाम अवश्य लिखें। अन्यथा प्रवृष्टि निरस्त की जा सकती है। पुस्तकें निदेशक, मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, संस्कृति भवन, बाणगंगा चौराहा, भोपाल–462003 के पते पर भेजें। जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष 0755–2551691 बात कर सकते हैं।

निदेशक,
मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, भोपाल

401 office work